न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
मुलचन्द बनाम चन्द्री
GCMS No- 2020/00239
प्रकरण संख्या 99/2020

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (RAS)

प्रकरण सं. 99/2020 वाद
GCMS NO.- 2020/00239

1. मुलचन्द पिता भगवानलाल जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी धारेश्वर तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——वादी

बनाम

1. मु0चन्द्री पत्नि स्व0नाथुलाल जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बेणिपुरीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

——प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक पक्षीय

निर्णय   दिनांक 14.02.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा देवपुरिया पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 91 की आराजी नं0 132 रकबा 0.8800 हैक्टेयर स्थित हैं।

2. उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 2/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित हैं। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादी नं0 1 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 टाल चाल कर रही है तथा बटवाडा करने से इंकार हो गयी है इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स मौके पर काबिज अनुसार कराकर, वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 2/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार रखते हुवे अलग किया जावें, तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराया जाकर अलग कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:56:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. बहस व साक्ष्य के उपरान्त गुण अवगुण के आधार पर दिनांक 17.08.2022 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर निर्णय अनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1929 दिनांक 31.10.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है। वकील वादी ने भी तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी है।

5. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 91 की आराजी नम्बर 132 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री मुलचन्द पिता भगवाना बलाई सा. धारेश्वर खातेदार।

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
132	0.5867	11.15

कुल किता– 01 कुल रकबा 0.5867 हैक्टैयर कुल लगान 11.15 रूपये

2.– श्रीमती चन्द्री पत्नी नाथुलाल बलाई सा. बेणीपुरिया खातेदार।

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
132 में से	0.2933	5.57

कुल किता–1 कुल रकबा 0.2933 हैक्टैयर कुल लगान 5.57 रूपये

6. उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

7. निर्णय आज तारीख 14.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड कराया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:56:52 IST
Reason: SelfAttested

14/2/23
(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा